रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 1970/श्रावण 7, 1892
No. 130] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 1970/SRAVANA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th July 1970

SUBJECT.—*Procurement of imported materials (other than canalised items) by actual users through the Industrial Raw Materials Assistance Centre* (IRMAC) *during April 1970 March 1971.*

No. 111-ITC(PN)/70.—Attention is invited to paragraph 55 in Part 'B' of Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book, Vol. I) for the period April 1970—March 1971, which provides that the State Trading Corporation have set up an Industrial Raw Materials Assistance Centre (IRMAC) and actual users, both large scale and small scale units, will be able to receive assistance from IRMAC in the matter of procurement of raw materials against licences issued to them under the import policy for Actual Users or under the import policy for Registered Exporters. Actual users desirous of availing themselves of this facility may approach the IRMAC to obtain imported raw materials off-the-shelf (or on an indenting basis) against valid licences. This facility can also be availed of by merchant exporters holding valid import licences issued under the import policy for Registered Exporters.

2. IRMAC will be announcing from time to time the items which will be available with them for supply off-the-shelf against valid import licences.

3. While supplying the imported material, IRMAC will debit both the Exchange Control and the Customs copies of the licence so as to reduce its c.i.f. value as a result of the goods supplied, as under:—

"C.I.F. value of goods supplied: Rs.————————

Description of goods supplied: ————————

Date on which supplied: ———————— "

4. The following points are clarified in connection with the procurement of goods through IRMAC against import licences:—

(i) IRMAC will supply goods only against licences which are presented to them during the initial validity period of the licence or, in the case of a revalidated licence, if it is presented at a time when the licence has at least a balance validity period of two months available.

(ii) Only those goods will be supplied which are covered by the licence, and to the extent their import is permitted by the licence.

(iii) The flexibility provided to actual users holding licences issued under the import policy for Registered Exporters under paragraph 38 of Part 'B' in Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book, Vol. II) for the period April 1970—March 1971, and the flexibility provided to actual users holding A. U. or REP licences under paragraph 85 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1970, will also be available to these licence holders while obtaining imported materials through the IRMAC, subject to the same conditions and restrictions as have been laid down.

(iv) To the extent the goods are supplied by IRMAC, the licence, in question, will neither be valid for direct imports nor for the purpose of remittance against the Exchange Control copy. The licencee will be able to make imports from abroad and make remittances against such imports only upto the balance value available on the licence and subject to the terms and conditions of the licence.

(v) If a licence holder has surrendered his licence to IRMAC for the supply of goods but the goods are not actually supplied by IRMAC for any reason, the licensee cannot claim a revalidation of the licence on this ground alone for import of goods directly, if revalidation is not otherwise admissible under the import policy in force.

(vi) Licence holders can also approach IRMAC for supplies against valid licences issued to them in the previous periods.

5. It is also open to an actual user in the small scale sector not to apply for a direct import licence in his favour for import of raw materials and components but to approach IRMAC for importing the goods provided that IRMAC is willing to undertake the import. The procedure for submission of applications for licences in such cases is contained in paragraph 87 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1970. The modes of financing applicable for issuing direct import licences to individual actual users will not apply while issuing a bulk licence to the importing agency on behalf of several actual users. Also, as provided in sub-paragraph 87(5) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1970, actual users on whose behalf a bulk licence is obtained by an importing agency, can apply for their subsequent import licences, whether direct or again through an importing agency, without having to wait for the utilisation of their previous licence by the importing agency.

6. If an actual user desires to import goods through IRMAC against his Actual User licence or against a licence issued to him under the import policy for Registered Exporters it will not be necessary for the licence holder to obtain a Letter of Authority for this purpose in favour of IRMAC. IRMAC in such cases will act as an indenting house and import the goods on behalf of the licence holders, subject to the same conditions as are applicable to the grant of Letters of Authority as given in Chapter XIII of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1970.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1970

विषय: अप्रैल, 1970–मार्च, 1971 वर्ष के दौरान वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा औद्योगिक कच्चे माल सहायक केन्द्र (आई०आर० एम० ए०सी०) के माध्यम से आयातित माल की अधिप्राप्ति (सारणीबद्ध मदों से अन्य)

संख्या 111 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70—अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक, वालुम 1) के खंड–1 के भाग 'बी' पैरा 55 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिस में यह व्यवस्था है कि राज्य व्यापार निगम ने एक औद्योगिक कच्चे माल सहायक केन्द्र (आई० आर० एम० ए० सी०) की स्थापना की है और बड़े पैमाने तथा लघु पैमाने दोनों प्रकार के एकक के वास्तविक उपभोक्ता, वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए आयात नीति के अन्तर्गत उनके लिए जारी किए गए लाइसेंस अथवा पंजीकृति आयातकों के लिए जारी की गई आयात नीतिके लाइसेंस के विपरीत कच्चे माल की अभिप्राप्ति के मामले में आई०आर०एम०ए०सी० द्वारा सहायता प्राप्त करने के योग्य होंगे। ऐसे वास्तविक उपभोक्ता जो इस प्रकार की सुविधा को प्राप्त करने के इच्छुक है, वे वैध लाइसेंस के विपरीत संचित कच्चे माल से प्राप्त करने के लिए (अथवा मांग पत्र के आधार पर) आई०आर०एम०ए०सी० को प्रार्थना करें। पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति के अन्तर्गत जारी किए गए वैध लाइसेंस धारण करने वाले व्यापारी निर्यातक भी यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

2. आई०आर०एम०ए०सी०, समय-समय पर संचित माल में जो मदें संभरण के लिए उपलब्ध हैं, वैध लाइसेंस के विपरीत उन्हें देने के लिए सूचना देती रहेगी।

3. आयातित माल के संभरण के समय, आई०आर०एम०ए०सी० लाइसेंस की मुद्रा नियंत्रण तथा सीमा-शुल्क दोनों प्रतियां खाते में लेगी ताकि माल के संभरण होने के परिणामस्वरूप लागत बीमा-भाड़ा मूल्य को घटा सके जैसा नीचे दिया गया है:—

संभरण किए गए माल का सी०आई०एफ० मूल्य.....रुपये।

संभरण किए गए माल का विवरण..... ।

संभरण किए गए माल की तारीख..... ।

4. आई०आर०एम०ए०सी० के माध्यम से आयात लाइसेंस माल के विपरीत की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जाती हैं:—

(1) आई०आर०एम०ए०सी० केवल उन्ही लाइसेंसों के लिए माल भेजेगा जो लाइसेंसों की प्रारंभिक वैध अवधि में उनको प्रस्तुत किए गए हैं या उन लाइसेंसों के लिए जो पुनर्वैध कर दिए गए हैं, यदि यह उस समय प्रस्तुत किया जाता है जबकि लाइसेंस में दी गई प्राप्य अवधि में कम कम दो मास की वैध अवधि बाकी है।

(2) केवल उन्हीं माल का संभरण किया जाएगा जो लाइसेंस के अन्दर निहित है और लाइसेंस में उनकी जितनी सीमा तक आयात करना स्वीकृत है।

(3) अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 तक की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक, वालम 2) के खंड 1 में भाग 'ख' के पैराग्राफ 38 के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंसों को धारण करने वाले वास्तविक उपभोक्ताओं को प्रदान की गई नम्यता और नियम और कार्यविधि, 1970 के आयात व्यापार नियंत्रण हैंड बुक के पैराग्राफ 85 के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ता लाईसेंस या पंजीकृत निर्यातक लाइसेंसों को प्रदान की गई नम्यता, आई० आर० एम० ए० सी० के माध्यम से माल आयात करते समय इन लाइसेंसधारियों को भी प्राप्त होंगी, यह ऊपर बताई गई शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन है।

(4) आई० आर० एम० ए० सी० द्वारा जिस सीमा तक माल भेजा जाता है, इस प्रश्न में, लाइसेंस न तो सीधे आयात के लिये वध होगा और न मुद्रा नियंत्रण प्रति विपरीत प्रेषण के विचार से ही वैध होगी। लाइसेंसधारी विदेशों से आयात करने योग्य होगा और लाइसेंस में प्राप्य शेष मल्य तक ही इस प्रकार के आयात के विपरीत प्रेषण करेगा और यह लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अधीन है।

(5) यदि लाइसेंसधारी ने माल भेजे जाने के लिये अपना लाइसेंस आई० आर० एम० ए० सी० को जमा कर दिया है, लेकिन किसी कारणवश आई० आर० एम० ए० सी० द्वारा वास्तव में माल नहीं भेजा जाता है, तो लाइससधारी सीधे आयात के लिये केवल इस आधार पर लाइसेंस की पुनर्वैधता के लिये दावा नहीं कर सकता, यदि अन्यथा रूप से लागू आयात निति के अन्तर्गत पुनर्वैधता स्वीकार्य नहीं है।

(6) लाइसेंसधारी, आई० आर० एम० ए० सी० को, उनको पहले की अवधि में जारी किए गए लाइसेंसों के विरुद्ध संभरण के लिए भी कह सकते हैं।

5. लघु उद्योग क्षेत्र का वास्तविक उपभोक्ता अपने नाम में कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए सीधे आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करने का भी अधिकारी नहीं है, लेकिन वह आई० आर० एम० ए० सी० को माल आयात करने के लिए सिफारिश कर सकता है बशर्ते कि आई० आर० एम० ए० सी० आयात की जिम्मेदारी लेने के लिए इच्छुक हो। इस प्रकारके मामले में लाईसेंस के लिए आवेदन-पत्र जमा की विधि नियम और कार्यविधि 1970 के आयात व्यापार नियंत्रण हैंड बुक के पैराग्राफ 87 में दी गई है। अलग एक वास्तविक उपभोक्ता के लिये सीधा आयात लाइसेंस जारी करने के लिए लाग होने वाली अर्थविधि अनेक वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से आयात करने वाले अभिकरण को थोक रूप में लाइसेंस जारी करते समय लागू नहीं होंगी। नियम और कार्यविधि, 1970 के आयात नियंत्रण हड बुक के उप-पैराग्राफ 87(5) में दिए गए के अनुसार भी, वे वास्तविक उपभोक्ता, जिनकी ओर से एक आयात करने वाले अभिकरण द्वारा थोक रूप में लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, वे आयात करने वाले अभिकरण द्वारा उनके पहले लाइसेंसों के उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना, सीधे या फिर एक आयात करने वाले अभिकरण के माध्यम से अपने परवर्ती आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

6. यदि वास्तविक उपभोक्ता, वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस के विरुद्ध आई० आर० एम० ए०सी० के माध्यम से या पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत उसके लिए जारी किए गए लाइसेंस के विरुद्ध माल आयात करना चाहता है, तो इस कार्य के लिए आई० आर० एम० ए० सी० के नाम में लाइसेंसधारी को प्राधिकार पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामले में, आई० आर०

एम० ए० सी० निर्देश देने वाले कार्यालय रूप में कार्य करेगी और लाइसेंसधारी की ओर से माल आयात करेगी, यह नियम और कार्यविधि, 1970 के आयात व्यापार नियंत्रण हैंड बुक के अध्याय 13 में दिए गए के अनसार प्राधिकार-पत्र के प्रदान किए जाने के लिए लागू होने वाली उसी प्रकार की शर्तों के अधीन है ।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970